(38)

R 1113 -दो-/2002

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

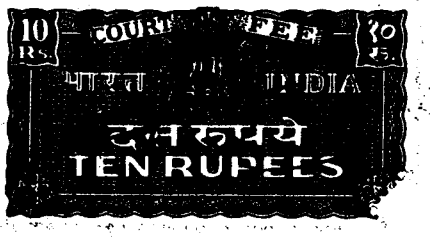

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

१- श्री इन्द्रभान प्रसाद पटेल तनय अम्बिका प्रसाद पटेल, साकिन देउरा थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० ---आवेदक

ब नाम

१-श्री जानकी तनय रामकुमार कुर्मी,	सभी निवासी ग्राम -
२-बृजनन्दन तनय रामकुमार कुर्मी,	देउरा, थाना शाहपुर
३-श्रीमती परगुला बेवा सूर्यभान कुर्मी,	तहसील हनुमना, जिला
४-श्री ओमप्रकाश तनय सूर्यभान कुर्मी,	रीवा म०प्र०
५-श्री उपेन्द्र तनय सूर्यभान पटेल,	
६-श्री ध्रुवेन्द्र तनय सूर्यभान पटेल,	
७-श्री दलेल तनय रामकुमार पटेल,	-------- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल आ. क्र. 198 दिनांक 2-5-02 मध्य प्रदेश

RL1651
2-5-02

कार्यालय कलेक्टर
जिला रीवा (म०प्र०)
22 APR 2002
अधीक्षक कलेक्टर

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री बी०पी० सिंह अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक २९-१-२००२ जरिए द्वितीय अपील क्रमांक ३५२/अपील/९७-९८ बाबत बंटवारा आराजियात ग्राम देउरा, तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०, निगरानी अन्तर्गत धारा ५० (१) म०प्र० भू-रा० संहिता वर्ष १९५९।

मान्यवर,

क्रमांक.........
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 2-5-02 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संक्षिप्त विवरण

अनावेदकगण क्रमांक ३ ता ७ द्वारा नायब नायब तहसीलदार, सर्किल लटगरी तहसील हनुमना के न्यायालय में एक आवेदनपत्र ग्राम देउरा स्थित २१ किता आराजियात जमला रकबा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग 1113–दो/2002 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–3–17	आवेदक के अभिभाषक श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित। उनके द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 352/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि आपसी बंटवारा के अनुसार सभी भूमियों के 5/12 भाग पर आवेदक काबिज है। किन्तु अनावेदक पटवारी हल्का से मिलकर 9 किता भूमियां ज्यादा उपजाऊ व अत्यधिक महत्व की भूमियां थी। उन भूमियों में आवेदक का रकबा कम करके दूसरी अन्य भूमियों से जो अन–उपजाऊ, कंकरीली पथरीली व कम महत्व की है। रकबा की पूर्ति की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय धारा 178 मध्यप्रदेश संहिता के तहत पालनीय नियम 4, 5, 6 का पालन किये बिना ही अनावेदक के हक व खाते में प्रदान की गई भूमियों को उचित ठहराते हुये अपील निरस्त कर निचली अदालतों के निर्णय को सही ठहराते हुये अपील निरस्त निचली अदालतों के निर्णय को सही ठहराने में भूल की है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । 3/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।	

4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदक को बटवारा आदेश के पूर्व विधिवत नोटिस दी गई और अभिलेखों से यह प्रमाणित है कि उसने नोटिस लेने से इंकार किया । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने उसके विरूद्ध दिनांक 31.01.1992 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्ष समर्थन का पूरा अवसर दिया गया, किन्तु आवेदक जानबूझकर विचारण न्यायालय में अनुपस्थित रहा तथा बटवारा की पुल्ली में उसकी सहमति थी, यदापि कि उसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। यह तथ्य इससे भी प्रमाणित है कि इसी पुल्ली के जरिये ग्राम देवरा की प्राप्त आराजी क्र0 124 की बिक्री आवेदक ने दो वर्ष पूर्व किया है। यदि आवेदक को सहमति नहीं थी तो उसे बटवारा पुल्ली के आधार पर प्राप्त उक्त भू–खण्ड की बिक्री वह क्यों करता। यह एक विचारणीय प्रश्न है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रश्नास्पद आदेश में यह भी उल्लेख किया है विवादित आराजियात कुल 21 किता है, किन्तु आवेदक ने मात्र 9 किता आराजियात के बारे में विवाद उत्पन्न किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक आराजियात के बटवारा सहमत था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में इन तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की है और अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिनुकूल बताते हुये स्थिर रखा है।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 352/अपील/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2002 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य